



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129446

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत प्रार्थना पत्र संख्या - 6876 वर्ष 2026

सन्नी उर्फ पेड़ा

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : शिवम शुक्ला, सुशील कुमार शुक्ला

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनीं और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह ज़मानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या 462/2025 धारा 126(2), 131, 351, 352, 115(2), 109(1), 118(1) बीएनएस; के तहत थाना- बड़ौत, ज़िला- बागपत में दर्ज मामले में मुकदमे के विचाराधीन रहने के दौरान आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने की मांग के साथ दायर की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फँसाया गया है। वह 06.08.2025 से जेल में है। यह कहा गया है कि घायल व्यक्ति को लगी चोटें जानलेवा नहीं पाई गईं और मेडिको-लीगल परीक्षण में जो फ्रैक्चर मिला है, वह घायल के हाथ में है, जो शरीर का कोई महत्वपूर्ण अंग नहीं है। अधिवक्ता का यह भी कहना है कि भले ही आवेदक का आपराधिक इतिहास सत्रह मामलों का दिखाया गया है, लेकिन उसे पहले कभी सज़ा नहीं हुई है।
4. विद्वान ए.जी.ए. ने ज़मानत की मांग का विरोध किया और कहा कि इसी तरह के मामले में शामिल सह-आरोपी, अजय उर्फ गोली जिसका नाम आवेदक के साथ था और जिस पर चौदह अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मामलों का आपराधिक इतिहास था, की ज़मानत प्रार्थना पत्र संख्या 33517/2025 को इस न्यायालय ने खारिज कर दिया था। विद्वान ए.जी.ए. का यह भी कहना है कि इस न्यायालय ने सह-आरोपी की बार-बार की आपराधिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए और आवेदक द्वारा डराने-धमकाने से प्रभावित हुए बिना लंबित मामलों का परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए उसे ज़मानत देने से इनकार कर दिया था।

5. इस मुद्दे पर जवाब देते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक का मामला सह-आरोपी के मामले से अलग है। यह तर्क दिया गया है कि जिस पिछले आपराधिक मामले में आवेदक और सह-आरोपी पर घायल व्यक्ति को उसकी गवाही से पहले धमकाने का आरोप था, उसमें यह आवेदक शामिल नहीं था। वह मामला मुकदमा अपराध संख्या 1102/2019, इस आवेदक के खिलाफ लंबित नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि आरोपी का कथित अपराध करने का कोई मकसद नहीं था और उसे राजनीतिक साज़िश के कारण झूठे मामले में फँसाया गया है। आरोपी के खिलाफ दर्ज सत्रह आपराधिक मामलों में से पंद्रह मामले बड़ौत पुलिस स्टेशन, एक छपरौली पुलिस स्टेशन और एक रमाला पुलिस स्टेशन से संबंधित हैं। इनमें से आठ मामले 2016 में दर्ज किए गए थे, जब आरोपी नाबालिग था। इन सभी मामलों में, विधिक सलाह पर आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और संबंधित किशोर न्याय बोर्ड ने उसे दोषी ठहराते हुए उतनी ही सज़ा सुनाई जितनी सज़ा वह पहले ही हिरासत में काट चुका था। बाकी मामलों में, सक्षम न्यायालयों ने आरोपी के आपराधिक इतिहास को ध्यान में रखते हुए उसे ज़मानत दे दी है।

6. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की दलीलों पर विचार किया है।

7. इस न्यायालय ने 13.10.2025 के आदेश के ज़रिए सह-आरोपी की ज़मानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था, क्योंकि वह बार-बार आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा था। हालांकि, आवेदक का आपराधिक इतिहास अठारह मामलों का बताया गया है जिसमें यह मामला भी शामिल है, लेकिन उनमें से आठ मामले 2016 में दर्ज किए गए थे जब वह नाबालिग था। उन मामलों में, आवेदक को उसके कबूलनामे के आधार पर दोषी ठहराया गया था और उसे उतनी ही सज़ा सुनाई गई थी जितनी वह पहले ही हिरासत में काट चुका था। बाकी मामलों में उसे दोषी नहीं ठहराया गया था। आवेदक 06.08.2025 से जेल में है और उसके विद्वान अधिवक्ता के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अनुसार, अभी तक मुकदमे की सुनवाई शुरू नहीं हुई है। घायल व्यक्ति को ऐसी कोई चोट नहीं आई है जिसे जानलेवा माना जा सके।

8. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और इस तथ्य को भी कि आवेदक पिछले मुकदमा संख्या 1102/2019 में शामिल नहीं था जिसमें घायल व्यक्ति गवाह बताया गया है, प्रथम दृष्टया ज़मानत का मामला बनता है।

9. ज़मानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** की जाती है।

10. ऊपर बताए गए अपराध में शामिल आवेदक - **सन्नी उर्फ़ पेडा** - को ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही राशि के दो भरोसेमंद ज़मानतदार पेश करे, और निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:

i. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

ii. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

iii. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं और मुकदमे की सुनवाई में सहयोग करेगा।

iv. आवेदक परीक्षण न्यायालय द्वारा तय की गई हर तारीख पर नियमित रूप से पेश होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय उसे व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट न दे दे।

11. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, परीक्षण न्यायालय उसकी ज़मानत रद्द करने की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की कंप्यूटर-जनरेटेड प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा। यह प्रति इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई हो और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित की गई हो, साथ ही यह वचन भी दिया जाए कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर जमा कर दी जाएगी।

13. आगे यह निर्देश दिया जाता है कि परीक्षण न्यायालय आवेदक की जल्द रिहाई सुनिश्चित करने के लिए 'बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम' (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



14. ऊपर बताई गई बातें केवल इस ज़मानत प्रार्थना पत्र पर निर्णय लेने के लिए हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

29 जून, 2026

कुशल

Translated Version Not For Legal Use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।